

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 57 / 2015 वैवाहिक

बन्टी उर्फ बिन्दू पुत्र पंछीराम आयु 36 साल
जाति जाटव निवासी लोडी माता मंदिर के पास
समतानगर मालनपुर थाना मालनपुर तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती वर्षा जाटव आयु 33 साल पत्नी बन्टी
उर्फ बिन्दू जाटव पिता का नाम स्व0 नामदेवी
कुनवी माता का नाम श्रीमती शोभा वाममारे जाति
कुनवी निवासी जयदोड मंदिर के पास पठानपुरा
चन्द्रपुरा महाराष्ट्र

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री के0पी0राठोर अधिवक्ता
अनावेदिका एकपक्षीय

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 11-1-2016 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी होना अभिकथित करते हुए उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह दिनांक 25-8-2003 को अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ था तब से आवेदक व अनावेदिका पति पत्नी हैं । शादी के बाद दोनों के संसर्ग से दो पुत्री का जन्म हुआ जिनके नाम क्रमशः खुशावदी, यशोदरा हैं । अनावेदिका विवाह के पश्चात् से ही हमेशा

अपने मायके में रहने की जिद किया करती थी और आये दिन झगडा फसाद करने को तत्पर रहती थी जिसके परिणामस्वरूप आवेदक का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो पा रहा था । कई बार आवेदक ने प्यार से अनावेदिका को समझाया किन्तु अनावेदिका हमेशा ही अपने पिता के घर रहने की जिद करती रहती थी जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 16 जून 2015 को अनावेदिका घर से 26900/-रुपये, मंगलसूत्र, कान के बाला, अंगूठी सोने की, करधोनी, पायजेवी, टाक्स इत्यादि सामान लेकर के अपने माता पिता के घर चली गयी जिसके संबंध में आवेदक के द्वारा थाना मालनपुर में रिपोर्ट की है । आवेदक ने कई बार अनावेदिका को साथ रखने का प्रयास किया किन्तु अनावेदिका आवेदक के साथ रहने को तैयार नहीं है और दाम्पत्य जीवन पुर्नस्थापित करने से इन्कार कर रही है । आवेदक दिनांक 23-8-15 को अनावेदिका को लेने लिये महाराष्ट्र गया था किन्तु अनावेदिका ने एवं उसकी मां ने यह कहकर लोटा दिया कि रक्षा बंधन के बाद भेज देंगे। रक्षाबंधन निकले हुये भी 10 दिन व्यतीत हो गये हैं और अनावेदिका आवेदक के साथ रहने के लिये नहीं आयी । दिनांक 7-9-15 को आवेदक ने अनावेदिका को जरिये मोवायल सूचित किया कि आ जाओ किन्तु अनावेदिका ने आने से स्पष्ट मना कर दिया और छोटी बच्चियों से बात भी नहीं करायी। अनावेदिका जानबूझकर दाम्पत्य अधिकारों का पालन नहीं कर रही है और आवेदक को दाम्पत्य सुखों से बंचित किये हुये है। आवेदक एवं अनावेदिका अन्तिम बार समतानगर मालनपुर में निवास किया है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा जारी रजिस्टर्ड नोटिस की तामीली उपरांत दिनांक 25-11-15 को अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

05. आवेदक बंटी उर्फ बिन्दू के द्वारा अपने शपथपत्र में स्पष्ट रूप से अनावेदिका के साथ दिनांक 25.08.2003 को उसका विवाह सम्पन्न हुआ था और आवेदिका उसकी विवाहिता पत्नी होना बताया है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी रामकिशोर आवेदक साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा भी अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होना बताया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य किसी भी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं हुए है। इस प्रकार अनावेदिका

आवेदक की विवाहिता पत्नी होना प्रमाणित है।

06. याचिकाकर्ता/ आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं बन्टी उर्फ बिन्दू साक्षी कं01 का तथा रामकिशोर आ.सा. 2 के शपथपत्र पेश किए हैं। आवेदक बन्टी उर्फ बिन्दू के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसका विवाह दिनांक 25-8-2003 को अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ था तब से अनावेदिका उसकी पत्नी होकर उसके साथ रही। शादी के बाद दोनों के संसर्ग से दो पुत्री का जन्म हुआ जिनके नाम क्रमशः खुशावदी, यशोदरा हैं। अनावेदिका विवाह के पश्चात् से ही हमेशा अपने मायके में रहने की जिद किया करती थी और आये दिन झगडा फसाद करने को तत्पर रहती थी जिसके परिणामस्वरूप आवेदक का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो पा रहा था। कई बार आवेदक ने प्यार से अनावेदिका को समझाया किन्तु अनावेदिका हमेशा ही अपने पिता के घर रहने की जिद करती रहती रही। दिनांक 16 जून 2015 को अनावेदिका घर से 26900/-रुपये, मंगलसूत्र, कान के बाला, अंगूठी सोने की, करधोनी, पायजेवी, टाक्स इत्यादि सामान लेकर के अपने माता पिता के घर चली गयी जिसके संबंध में आवेदक के द्वारा थाना मालनपुर में रिपोर्ट की है।

07. आवेदक ने आगे अपने कथन में यह बताया है कि उसने कई बार अनावेदिका को साथ रखने का प्रयास किया किन्तु अनावेदिका आवेदक के साथ रहने को तैयार नहीं है और दाम्पत्य जीवन पुर्नस्थापित करने से इन्कार कर रही है। आवेदक दिनांक 23-8-15 को अनावेदिका को लेने लिये महाराष्ट्र गया था किन्तु अनावेदिका ने एवं उसकी मां ने यह कहकर लोटादिया कि रक्षा बंधन के बाद भेज देंगे। रक्षाबंधन निकले हुये भी 10 दिन व्यतीत हो गये हैं और अनावेदिका आवेदक के साथ रहने के लिये नहीं आयी। दिनांक 7-9-15 को आवेदक ने अनावेदिका को जरिये मोवायल सूचित किया कि आ जाओ किन्तु अनावेदिका ने आने से स्पष्ट मना कर दिया और छोटी बच्चियों से बात भी नहीं करायी।

08. जहाँ तक अनावेदिका के द्वारा दिनांक 16.06.2015 को आवेदक के घर से नगदी रुपए व सोने चाँदी के जेवर अपने साथ ले जाने का प्रश्न है, इस संबंध में थाने में आवेदक रिपोर्ट करना बता रहा है, किन्तु थाने में की गई किसी भी रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है। जेबरातों के संबंध में कोई भी बिल पेश नहीं है जिससे कि आवेदक के जेवर होने और उसे ले जाने की कोई पुष्टि होती हो।

09. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अन्य कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के अभाव में उपरोक्त शपथपत्र में किये गये कथन अखण्डनीय रहे हैं। उक्त

शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

10. आवेदक बन्टी उर्फ बिन्दू के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामकिशोर आ.सा. 2 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे हैं। यद्यपि रुपये एवं जेवर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में किया गया कथन दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता, किन्तु शेष तथ्य के संबंध में साक्षी को विश्वास योग्य माना जाता है।

11. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक बन्टी उर्फ बिन्दू का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी रामकिशोर आ.सा. 2 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से वंचित किए हुए है।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

- 1- अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह स्वयं एवं अपनी नावालिक पुत्रियों के साथ आवेदक के पास पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।
- 2- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।
- 3- अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक या प्रमाणपत्र के अनुसार जो भी कम हो दी जावे।

तदनुसार आज्ञा पारित की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड